

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

विषय:- सुपौल जिलान्तर्गत मड़ौना थाना (ग्रेड-3) भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 197.019 लाख (एक करोड़ संतानवे लाख एक हजार नौ सौ रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 177.32 लाख (एक करोड़ सतहत्तर लाख बत्तीस हजार रू0) विमुक्त करने के संबंध में।

पटना, दिनांक फरवरी, 2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के ज्ञापांक-459, दिनांक-27.01.2016 के संबंध में कहना है कि सुपौल जिलान्तर्गत मड़ौना थाना (ग्रेड-3) भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 197.019 लाख (एक करोड़ संतानवे लाख एक हजार नौ सौ रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 177.32 लाख (एक करोड़ सतहत्तर लाख बत्तीस हजार रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 177.32 लाख (एक करोड़ सतहत्तर लाख बत्तीस हजार रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या-22 के बजट शीर्ष-4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0101-पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण विपत्र कोड-P4055000510101 एवं विषय शीर्ष-53 01-मुख्य निर्माण कार्य, राज्य योजना स्कीम कोड-HOM 5420 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा किया जायेगा तथा राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-653/वि0, दिनांक-25.01.2016 द्वारा निर्धारित सेन्टेज का दर अनुमान्य होगा।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका-6/योजना-01-34/2015गृ0आ0 के पृ0-06/टि0 पर दिनांक-13.02.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/योजना-01-34/2015गृ0आ0...../पटना, दिनांक 23 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/ पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, सुपौल/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(mm)

2016
सरकार के प्रधान सचिव